समाहरणालय, मधुबनी
(जिला आपूर्ति शाखा)

–: आदेश :–

भारतीय खाद्य निगम, जयनगर से एक दस चक्के वाली ट्रक पर लगभग 14 टन गेहूँ जो तस्करी के नियत से ले जाया जा रहा था, उसे भारत नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जयनगर बेतौन्हा बी0ओ0पी0 के समीप अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर एवं एस0एस0वी0 14 वीं वाहिनी के सहायक समादेष्टा द्वारा छापेमारी कर जप्त किया गया है । इसी विषय पर एक प्राथमिकी अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी द्वारा भी दर्ज कराई गई है ।

इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम, जयनगर डिपो में लगभग पैंसठ ट्रक गेहूँ ट्रक पर लदा हुआ है । उक्त खाद्यान्न का विचलन एवं दुर्विनियोग, कालाबाजारी न हो, इसके लिए आवश्यक है कि उक्त खाद्यान्नों का परिगमन जिम्मेदार कर्मी के देख–रेख में कराया जाय ।

उपर्युक्त स्थिति में सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब भारतीय खाद्य निगम, जयनगर जाकर उन लदे सभी ट्रकों के कागजतों की जॉच पड़ताल करें एवं अपने प्रखण्ड क्षेत्र हेतु निर्गत खाद्यान्न को ट्रक सहित स्कॉट कर अपने संबंधित राज्य खाद्य निगम के गोदाम में सुरक्षित भंडारित कराना सुनिश्चित करें ।

इसकी सूचना सभी सम्बद्ध को दी जाय ।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञापांक 121 /जि0आ0, मधुबनी, दिनांक 01 वीं ~~जनवरी~~ फरवरी, 2011 ई0 ।

प्रतिलिपिः सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर को निदेश है कि ट्रकों की स्कॉट हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाय ।

प्रतिलिपिः जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधुबनी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । निदेश है कि उपर्युक्त निदेश सभी सहायक गोदाम प्रबंधक को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपिः डिपो प्रभारी, भारतीय खाद्य निगम, जयनगर को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश है कि खाद्यान्न परिगमन से संबंधित कागजात संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक को अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

1/2/11

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।